रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 1988/अग्रहायण 22, 1910
No. 268] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 1988/AGRAHAYANA 22, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
12/29/6/88
भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1988

अधिसूचना

सं. 3/1/88पी एण्ड आर:—योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया जा रहा है जो नीचे दिए गए गठन एवं विचाराधीन विषय के अनुसार हस्तशिल्प क्षेत्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में सहायता करेगा।

2. गठन

1. श्रीमती के. गुप्ता मेनन	अध्यक्ष
2. श्री जे.डी. चतुर्वेदी, संयुक्त सलाहकार (सी.आई.) श्री कृष्ण कुमार, उप सलाहकार (सी.आई.)	सदस्य
3. महानिदेशक अथवा प्रतिनिधि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	सदस्य
4. प्रोफेसर जे. कृष्णमूर्ती, दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स	सदस्य
5. प्रतिनिधि नाबार्ड	सदस्य
6. श्री विनय झा, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य
7. प्रतिनिधि ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनन्द	सदस्य
8. प्रोफेसर बी.के. राय बर्मन सामाजिक विकास परिषद	सदस्य
9. श्री पी.एन. सूरी, उपाध्यक्ष, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद	सदस्य

10. श्री शंकर राय सामाजिक कार्यकर्ता, टिलोनिया, राजस्थान	सदस्य
11. श्रीमती लैला तैयबजी, दस्तकार, नई दिल्ली	सदस्य
12. श्रीमती एस. चौधुरी भाषा, पं. बंगाल	सदस्य
13. श्री बाबू पिल्लई, संयुक्त निदेशक (उद्योग), केरल सरकार	सदस्य
14. श्री एस. के. महापात्र, संयुक्त विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	सदस्य-सचिव

3. विचाराधीन विषय:—(1) हस्तशिल्प क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निर्धारित वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में निष्पादन का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना ।

(2) निम्नोक्त के संदर्भ में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए नीति संबंधी ढांचे के लिए सुझाव देना:—

(1) समग्र उद्देश्य

(2) वास्तविक और वित्तीय परिव्यय

(3) राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा और निजी व्यापार की भूमिका सहित केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और ऐच्छिक अभिकरणों की भूमिका ।

(4) समग्र नीति के संदर्भ में कोई अन्य महत्वपूर्ण मानदण्ड ।

(3) वर्तमान प्लान स्कीम की क्षमता एवं कमजोरियों का मूल्यांकन करना और योजना निवेश के मुख्य क्षेत्रों में नई योजनाओं को तैयार करने सहित संशोधन का सुझाव देना, जैसे:—

क्षेत्र	निवेश
उत्पादन	प्रशिक्षण
	डिजाइन
	प्रौद्योगिकी
	कच्चा माल
	कार्यकारी पूंजी
विपणन	प्रचार
	प्रदर्शनी
	अवस्थापना सम्बन्धी मलमत खबरा
	ढांचा
	निर्यात संवर्धन

(5) आठवीं योजना अवधि के दौरान संस्थागत वित्त की समग्र आवश्यकताओं का आंकलन करना ।

(6) किसी अन्य क्षेत्र/पहलू के संबंध में अध्ययन/सिफारिश करना जो इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हों ।

4. कार्यकारी दल की अध्यक्ष समय-समय पर अधिक सदस्यों को सहयोजित/आमंत्रित कर सकती हैं और उप-दल गठित कर सकती हैं ।

5. सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता से संबंधित व्यय उनके अपने विभाग/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा । गैर-सरकारी सदस्यों के संबंध में यदि कोई हो, व्यय भारत सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों पर लागू यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता से संबंधित नियमों के अनुसार योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा ।

6. दल रिपोर्ट को अन्तिम रूप देगा और उसे 31-1-1989 (अथवा बढ़ाए गए दिनांक) तक योजना आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

7. कार्यकारी दल से संबंधित सभी पत्राचार सदस्य-सचिव के नाम सम्बोधित किया जाएगा ।

आर. एल. मिश्र, सचिव (वस्त्र)

MINISTRY OF TEXTILES

[Office of Development Commissioner (Handicrafts)]

New Delhi, December 7, 1988

NOTIFICATION

No. 3/1/88-P & R.—As Approved by the Planning Commission, a Working Group under the chairmanship of the *Development Commissioner (Handicrafts)* is being constituted to help formulation of the Eighth Five Year Plan in the handicrafts sector as per composition and terms of reference given below:—

2. COMPOSITION

1. Smt. K. Gupta Menon Development Commissioner (Handicrafts).	Chairperson
2. Shri J.D. Chaturvedi, Joint Adviser (CI)/ Shri Krishan Kumar, Deputy Adviser (CI)	Member

8.	Prof. B.K. Roy Burman, Council for Social Development	Member
9.	Shri P.N. Suri, Vice-Chairman, Export Promotion Council for Handicrafts.	Member
10.	Shri Bankar Roy, Social Worker, Tilonia, Rajasthan	Member
11.	Smt. Laila Tayabji, Dastkar, New Delhi	Member
12.	Smt. S Kohli, Sasha, West Bengal	Member
13.	Shri Thanu Pillai, Joint Director (Industries), Government of Kerala.	Member
14.	Shri S.K. Mohapatra, Jt. Dev. Commissioner (Handicrafts).	Member-Secretary

3. TERMS OF REFERENCE:

(1) To study and evaluate the performance in the Handicrafts sector vis-a-vis physical and financial targets laid down during the Seventh Five Year Plan period.

(2) To suggest a policy framework for the planned development of this sector during the Eighth Five Year period with reference to—

(i) Overall objectives;

(ii) physical and financial outlays ;

(iii) organisational framework at National State, and local levels and the roles of the Central Government, State Governments and voluntary agencies, and including the role of private business ;

(iv) any other criterion of importance in the overall policy context.

(3) To assess the strength and weaknesses of existing Plan Schemes and suggest modifications including formulation of new schemes in the main areas of Plan inputs, such as :—

Area	Inputs
Production	Training Design Technology Raw material Working capital
Marketing	Publicity Exhibitions Retail Infrastructure Export Promotion
Preservation	Museums Documentation
Welfare	Social security Old age assistance Environmental

etc., and to work out the package of schemes to be included in the Eighth Five Year Plan together with detailed physical and financial outlays.

(4) To suggest measures including survey/census to create a reliable data base and information systems in the field of handicrafts to help planning and monitoring, together with organisational framework therefor.

(5) To estimate the overall requirements of institutional finance during the Eighth Plan period:

(6) To study/recommend on any other area/aspect that may be of importance to the development of the sector.

4. The chairperson of the Working Group may, from time to time, coopt/invite more members, and constitute Sub-Groups.

5. The expenditure of the official members on TA/DA will be borne by the parent department/organisation. The expenditure, if any, in respect of non-official members will be borne by the Planning Commission as per rules of TA/DA as applicable to Grade I Officers of Government of India.

6. The Group will finalise the report and submit the same to the Planning Commission by January 31, 1989 (or to date extended).

7. All correspondences regarding the Working Group may be addressed to the Member-Secretary by name.

R.L. MISRA, Secy. (Textiles)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988